बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–3/निदे0–PoA(द्वितीय अनुपूरक)–04–44/2025-301

केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50)

प्रेषक,

संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक – 29.01.2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय–समय पर यथासंशोधित) के तहत् केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राज्यांश मद में ₹37,21,000/– (सैंतीस लाख एक्कीस हजार रू0) मात्र की राशि की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय–समय पर यथासंशोधित) के तहत् राज्यांश मद में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित ₹37,21,000/– (सैंतीस लाख एक्कीस हजार रू0) मात्र की राशि की स्वीकृति दी जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में पी0एफ0एम0एस0 के एस0एन0ए0–09 में प्रदर्शित हो रहे Deficit राशि के आलोक में इस स्वीकृत राशि को एस0एन0ए0 बैंक खाता में संधारित किया जाएगा।

2–राज्यांश के लिए राशि मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष–''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघुशीर्ष–277–शिक्षा– उपशीर्ष–0321–नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989–विषय शीर्ष–0321.33.02–मुआवजा विपत्र कोड सं0–44-2225012770321'' पी0एफ0 एम0एस0 कोड 9488 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3–वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M.दिनांक–23.03.2021 तथा समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

4–इस योजना का निकासी पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे। अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग राशि की निकासी कर Single Nodal Agency (SNA) के बैक खाता में संधारित करेगें। ताकि राज्यांश की Deficit राशि प्रदर्शित न हो।

5–इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

6–इस स्वीकृति के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31.03.2026 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेगें।

7–इस राशि की स्वीकृति आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 3/निदे0–पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)–24–21/2023 के पृ0– /टि0 पर प्राप्त है।

8–इस राशि की स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.01.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/निदे0–PoA(द्वितीय अनुपूरक)–04–44/2025 - 301 पटना, दिनांक– 29.01.2026

प्रतिलिपि : 1–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2–अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3– प्रभारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक(मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.01.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/निदे0– PoA (द्वितीय अनुपूरक)–04–44/2025 - 301 पटना, दिनांक– 29.01.2026

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.01.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/निदे0–PoA(द्वितीय अनुपूरक)–04–44/2025 - 301 पटना, दिनांक– 29.01.2026

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.01.26

सरकार के सचिव।